हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1-15/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 5)** जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. वृहत नाम का संशोधन।
3. धारा 1 का संशोधन।
4. कतिपय शब्दो का संशोधन।
5. धारा 2 का संशोधन।
6. धारा 3 का प्रतिस्थापन।
7. धारा 4 का संशोधन।
8. धारा 5 का संशोधन।
9. धारा 6 का संशोधन।
10. धारा 7 का प्रतिस्थापन।
11. धारा 8 का संशोधन।
12. धारा 10 का संशोधन।
13. धारा 11 का संशोधन।
14. धारा 13 का संशोधन।
15. धारा 14 का प्रतिस्थापन।
16. धारा 14–क, 14–ख, 14–ग और 14 घ का अन्तःस्थापन।
17. धारा 15 का प्रतिस्थापन।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 है।

2. **वृहत् नाम का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के वृहत नाम में, "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. **धारा 1 का संशोधन.**––"मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (1) "लिफ्ट" शब्द के पश्चात्, ",एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स" चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. **कतिपय शब्दों का संशोधन.**––मूल अधिनियम में "लिफ्ट" और "मुख्य अभियन्ता (विद्युत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग" शब्द जहाँ–जहाँ आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स और "मुख्य निरीक्षक, लिफ्ट" शब्द रखे जाएंगे।

5. **धारा 2 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(कक) "लिफ्ट का सहायक निरीक्षक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, सहायक अभियन्ता (विद्युत) से नीचे की पंक्ति न हो;

"(कख) "लिफ्ट का मुख्य निरीक्षक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, यथास्थिति, मुख्य अभियन्ता (विद्युत) या अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) के रैंक पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो; और

"(कग) "एस्केलेटर" से ऐसा विद्युत चालित, तिरछा और सत्त सीढ़ी–मार्ग अभिप्रेत है, जिसका उपयोग यात्रियों को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए किया जाता है;''; और

(ख) खंड (ढ) के अन्त में विद्यमान चिन्ह "," के स्थान पर चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(ण) "ट्रेवलेटर" से, पैदल यात्रियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त क्षैतिज गतिशील पथ अभिप्रेत है।"।

6. **धारा 3 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 3 में,–**(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

3. लिफ्ट का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा.––(1) किसी स्थान का प्रत्येक स्वामी, जो ऐसे स्थान पर लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित करने की वांछा रखता है, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को ₹ 2500/– का रजिस्ट्रीकरण शुल्क संदेय कर अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगाः

परन्तु यदि लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटस राज्य सरकार का हो तो कोई रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए किया जाएगाः––

क. लिफ्ट की स्थापनाः

(i) लिफ्ट का प्रकार;

(ii) लिफ्ट की अधिकतम निर्धारित गति;

(iii) निर्माता/डिज़ाइनर द्वारा निर्धारित भार वहन क्षमता;

(iv) लिफ्ट ऑपरेटर के अतिरिक्त अधिकतम यात्रियों की संख्या, जिन्हें लिफ्ट ले जा सकती है;

(v) अधिकतम भार वहन सहित लिफ्ट पिंजर का कुल भार एवं आकार;

(vi) प्रतितोलक का भार;

(vii) आलम्ब केबलों की संख्या, विवरण, भार एवं आकार;

(viii) सबसे निचली मंजिल पर पिंजर की निम्नतम स्थिति से पिट की गहराई; तथा

(ix) ओवरहेड संरचना के निर्माण से संबंधित अन्य विहित विवरण, जिनमें बीमों का भार एवं आकार सम्मिलित हों।

ख. एस्केलेटर की स्थापनाः

(i) एस्केलेटर का प्रकार;

(ii) एस्केलेटर की परिकल्पित परिचालन गति;

(iii) आनति का कोण;

(iv) जंगलों के मध्य चौड़ाई;

(v) हैंडरेल, स्टेप ट्रेड, लैंडिंग कॉम्ब प्लेट्स, ट्रस अथवा गर्डर तथा स्टेप हील ट्रैक्स का विवरण;

(vi) निर्धारित भार;

(vii) निर्धारित भार पर प्रति घंटा व्यक्तियों की संख्या;

(viii) स्थैतिक भार के आधार पर एस्केलेटर में सुरक्षा गुणांक;

(ix) मीटर में कुल यात्रा/ऊँचाई; और

(x) ऐसे अन्य विवरण, जो विहित किए जाएं।

ग. ट्रेवलेटर की स्थापनाः

विशिष्टियां अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई0एस0ओ0) या यूरोपीय मानकीकरण समिति (सी0ई0एन0) के कोडों के अनुरूप।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने और आवेदक से ऐसी सूचना, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा करने के पश्चात् आवेदन को अपनी टिप्पणियों सहित मुख्य निरीक्षक लिफ्ट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करेगा और तदुपरि वह या तो अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अनुज्ञा उस तारीख से, जिस को यह प्रदा की गई है, छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

परन्तु छह मास की अवधि को कारण सहित आवेदन किए जाने पर, छह मास की और आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन या विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

7. धारा 4 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में, "सात सौ पचास रूपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) अनुज्ञप्ति की वैद्यता एक वर्ष की होगी, जिसका नवीकरण ऐसे अभिलेखों के साथ जो विहित किए जाएँ, और रू 5000/– के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर किया जाएगाः

परन्तु यदि लिफ्ट एस्केलेटर या ट्रेवलेटर राज्य सरकार का हो तो नवीनीकरण शुल्क देय नहीं होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित अधिकारी आवश्यक जांच करने के उपरांत अपने अभिमत सहित आवेदन को मुख्य लिफ्ट निरीक्षक को अग्रेषित करेगा और तत्पश्चात् वह नवीकरण प्रदान कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के अधीन विहित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।"।

8. धारा 5 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) में, जहाँ "इस अधिनियम के प्रारम्भ" शब्द आते हैं के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ " शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "सात सौ पचास रूपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रूपए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

9. धारा 6 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) विद्यमान उपबंध, उप–धारा (1) के रूप में, पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और परन्तुक में "अधिनियम के प्रारम्भ" शब्दो के स्थान पर " हिमाचल प्रदेश लिफ्ट, एक्सेलेटर्स और ट्रेवलेटर्स (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ " शब्द और अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) जो कोई भी व्यक्ति बिना वैद्य अनुज्ञा के किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर (सरकार द्वारा स्थापित एवं संधारित लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर सहित) का संचालन करता है, वह पचास हजार रूपये की शास्ति के लिए दायी होगा। उक्त दण्ड अधिरोपित करने के लिए लिफ्ट निरीक्षक सक्षम होगा।"।

10. धारा 7 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**7. लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निरीक्षण या स्थापना के लिए किसी भवन में प्रवेश का अधिकार,–**

(1) लिफ्ट निरीक्षक युक्तियुक्त सूचना देकर, किसी भी समय उस किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है, जिसमें कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर स्थापित है या स्थापित किया जा रहा है, अथवा जिसके संबंध में अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, ताकि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर, उनकी स्थापना अथवा उससे संबंधित स्थल का निरीक्षण किया जा सके।

(2) सहायक लिफ्ट निरीक्षक भी ऐसी लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों का भौतिक निरीक्षण कर सकता है, जिन्हें लिफ्ट निरीक्षक द्वारा उसे संदर्भित किया गया हो:

परंतु लिफ्ट निरीक्षक, सहायक लिफ्ट निरिक्षक द्वारा निरीक्षत की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों में से कम से कम दस प्रतिशत का स्वयं निरीक्षण करेगा;

परंतु यह और कि सहायक लिफ्ट निरीक्षक को इस उप–धारा के अंतर्गत उसे संदर्भित की गई लिफ्टों, एस्केलेटरों या ट्रेवलेटरों के निरीक्षण हेतु उप–धारा (1) के अनुसार किसी भी भवन में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(3) यदि ऐसे निरीक्षण पर अधिकारी की यह राय हो कि किसी भवन में स्थित कोई लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर असुरक्षित अवस्था में है, तो वह भवन के स्वामी को ऐसे आदेश जिन्हे वह आवश्यक समझे जारी कर सकेगा जिनमें ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन करने की अपेक्षा है तथा आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दे सकेगा; और आवश्यकता होने पर, ऐसे सुधार अथवा परिवर्तन किए जाने तक या ऐसी असुरक्षित स्थिति हटाए जाने तक, उस लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के उपयोग को स्थगित करने का भी आदेश दे सकेगा।"।

11. धारा 8 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) में, "धारा 7 की उप–धारा (2)" शब्दों और अंकों के स्थान पर " धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 की उप–धारा (3)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

12. धारा 10 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (1) में, " और जिला मजिस्ट्रेट को भी" शब्दों के स्थान पर ",जिला मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधीक्षक को भी" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 11 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

> ''(1) प्रत्येक लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।"; और

(ख) उप–धारा (2) में, "धारा 4 की उपधारा (3), धारा 7 की उपधारा (2)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 7 की उपधारा (3)" शब्द और अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

14. धारा 13 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) "पांच हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पांच सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रूपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) "पैंतालीस हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रूपए" शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 14 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.––

"**14. शक्तियों का प्रत्यायोजन.**––राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त समस्त या उनमें से किन्ही शक्तियों को ऐसे अधिकारी जिसे वह उचित समझे किन्तु जो लिफ्ट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"।

16. धारा 14–क, 14–ख,14–ग, 14–घ, का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी।

"**14–क. समवर्ती दायित्व**–यदि लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में सुरक्षा प्रावधानों की खराबी के कारण कोई दुर्घटना घटित होती है और यह उक्त कंपनी के कारण होना प्रतिपादित होता है तो, यथास्थिति, लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना अथवा अनुरक्षण करने वाली कंपनी इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगी।

14–ख. जीवन काल–परिसर में स्थापित किसी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर को उसकी स्थापना की तारीख से बीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्वामी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा स्वामी विद्यमान लाईसेंस समर्पित कर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नवीन लाईसेंस हेतु आवेदन करेगा।

14–ग. बीमा– स्वामी लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की स्थापना पूर्ण होने के पश्चात् उसे उपयोग करने वाले यात्रियों के जोखिम को आच्छादित करने हेतु आज्ञापक रूप से तृतीय पक्ष बीमा करवाना सुनिश्चित करेगा।

14–घ. व्यवहार संहिता–लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर में प्रयुक्त सामग्री एवं उसके समस्त प्रासंगिक घटक भारतीय मानक ब्यूरो अथवा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप होंगे।"।

17. धारा 15 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"**15. नियम बनाने की शक्ति.**––(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) वशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्–

(क) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के लिए विनिर्देश,

(ख) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर की निर्माण योजनाएं प्रस्तुत की जाएगी,

(ग) रीति जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर का परीक्षण किया जा सकेगा,

(घ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के निर्माण के लिए आवेदन या उसके परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप,

(ङ) निबन्धन और शर्तें, जिनके अध्यधीन और प्ररूप जिसमें धारा 6 के अधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के परिचालन के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकेगी,

(च) रीति जिसमें और निबन्धन जिनके अध्यधीन लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर धारा 6 के अधीन परिचालित होगी,

(छ) रीति जिसमें दुर्घटनाओं की सूचना (नोटिस) दी जाएगी और ऐसी सूचना (नोटिस) का प्ररूप,

(ज) धारा 7 के अधीन दी जाने वाली सूचना (नोटिस) का प्ररूप, और

(झ) लिफ्ट, एस्केलेटर या ट्रेवलेटर के जीवन–काल को विनियमित किए जाने के रिति का विनिश्चय करना; और

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जा सकेगा।"।

———————

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2007, राज्य में सार्वजनिक और प्राइवेट स्थापनाओं में यात्री लिफ्टों के स्थापन, प्रचालन और रख–रखाव हेतु ऐसी लिफ्टों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य में पर्यटन, शहरी अवसंरचनाओं की वृद्धि और विकासात्मक परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ एस्केलेटरों और टरेवलेटरों का उपयोग भी बहुतायत बढ़ गया है। चूंकि विद्यमान अधिनियम एस्केलेटरों और टरेवलेटरों के विनियमन का उपबन्ध नहीं करता है, इसलिए, अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य हो गया है।

विधेयक का प्राथमिक उद्देश्यों विस्तारित प्रशासन और कढ़े सुरक्षा मानदण्ड के माध्यम से लोक सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो। यह वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि और शास्ति, तृतीय पक्षकार बीमा हेतु उपबन्ध तथा सेवा प्रदाताओं के लिए निवर्तमान दायित्व सहित फीस संरचना के पुनरीक्षण को भी प्रस्तावित करता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः
————————, 2026

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of long title.
3. Amendment of Section 1.
4. Amendment of certain words.
5. Amendment of Section 2.
6. Substitution of Section 3.
7. Amendment of Section 4.
8. Amendment of Section 5.

9. Amendment of Section 6.
10. Substitution of Section 7.
11. Amendment of Section 8.
12. Amendment of Section 10.
13. Amendment of Section 11.
14. Amendment of Section 13.
15. Substitution of Section 14.
16. Insertion of Sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D.
17. Substitution of Section 15.

Bill No. 5 of 2026

THE HIMACHAL PRADESH LIFTS (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (Act No. 22 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lifts (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of long title.—In the long title of the Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the word "lifts" the sign and words ",escalators and travelators" shall be inserted.

3. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), after the word "Lifts", the sign and words ", Escaltaors and Travelators" shall be inserted.

4. Amendment of certain words.—In the principal Act, for the word "Lifts" and for the words and signs "Chief Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department", wherever occurring the words "lifts, escalators or travelators" and the words " Chief Inspector of Lifts" shall be substituted respectively.

5. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the principal Act,-

(a) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(aa) "Assistant Inspector of Lifts" means an officernot below the rank of Assistant Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department, appointed by the State Government;

"(ab) "Chief Inspector of Lifts" means an officer in the rank of Chief Engineer (Electrical), Himachal Pradesh Public Works Department or Superintending Engineer (Electrical) Himachal Pradesh Public Works Department, as the case may be, appointed by the State Government;

(ac) "escalator" means a power driven, inclined, continuous stairway used for raising or lowering passengers;"; and

(b) at the end of clause (n), for the sign ".", the sign ";" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(o) "travelator" means a horizontal moving pavement for transporting pedestrians.".

6. Substitution of Section 3.—For Section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**3. Permission to erect a lift.—**(1) Every owner of a place intending to install a lift, escalator or travelator in such place shall make an application to such officer as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, authorise in this behalf, for permission on payment of a registration fee of Rs. 2500/-:

Provided that no registration fee shall required to be paid when the lift, escalator or travelator belongs to the State Goverment.

(2) The application for registration shall be made in such form as may be prescribed and shall specify:—

A. Lift Installation:

(i) the type of the lift;

(ii) the rated maximum speed of the lift;

(iii) the maker's or designer's rated capacity in weight;

(iv) the maximum number of passengers in addition to the lift operator which the lift can carry;

(v) the total weight of the lift cage carrying the maximum load;

(vi) the weight of the counterweight;

(vii) the number, description, weight and size of the supporting cables;

(viii) the depth of the pit from the lowest part of the cage when at the lowest floor; and

(ix) such other particulars and details of the construction of the overhead arrangement; with the weight and sizes of the beams as may be prescribed.

B. Escalator Installation:

(i) the type of escalator;

(ii) the speed at which the escalator is designed to operate;

(iii) the angle of inclination;

(iv) the width between balustrades;

(v) the details of handrails, step tread, landing comb plates, trusses or girders and step wheel tracks;

(vi) the rated load;

(vii) the number of persons per hour at rated load;

(viii) the factor of safety based on the static loads in the escalator;

(ix) the travel (rise) in metres; and

(x) such other particulars as may be prescribed.

C. Travelator Installation:

The particulers in accordance with codes of International Organisation for Standardisation (ISO) or European Committee for Standardisation (CEN).

(3) On receipt of application under sub-section (1), the officer authorized in this behalf shall, after making such enquiry and requiring the applicant to furnish such information as may be necessary, forward the application with his remarks to the Inspector of Lifts or to the officer authorized by him in this behalf and thereupon he may either grant or refuse the permission.

(4) The permission granted under sub-section (3) shall be valid for a period of six months from the date on which it is granted:

Provided that the period of six months may be extended for a further period of six months upon an application with reasons to extend the same.

(5) The fee as prescribed under sub-section (1) shall be increased by 10% after every three years.".

7. Amendment of Section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the word, figures and signs "Rs. 750/-", the word, figures and signs "Rs. 5,000/-" shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) The validity of license shall be one year which shall be renewed upon an application by the owner, duly supported with such documents as may be prescribed, alongwtih a renewal fee of Rs. 5000/- :
Provided that no renewal fee shall required to be paid where the lift, esclator or travelator belongs to State Government.
(5) On receipt of an application under sub-section (1) the officer shall, after making such inquiry as may be necessary forward the application with his remarks to the Chief Inspector of Lifts and thereupon he may either grant or refuse the renewal of license.
(6) The fee as prescribed under sub-section (1) and sub-section (4) shall be increased by 10% after every three years.".

8. Amendment of Section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words “commencement of this Act”, wherever occurring, the words, signs and figures “commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travelators (Amendment) Act, 2026” shall be inserted; and

(b) in sub-section (2), for the word, figures and signs “Rs. 750/-”, the word, figures and signs “ Rs. 5000/-” shall be substituted.

9. Amendment of Section 6.— In Section 6 of the principal Act,—

(a) the existing provision shall be numbered as (1) and in the proviso for the words “commencement of this Act”, the words, signs and figures “commencement of the Himachal Pradesh Lifts, Escalators and Travalators (Amendment) Act, 2026” shall be inserted; and

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

“(2) Whosoever operate a lift, escalator or travelator including those installed and maintained by the Government without a valid license shall be liable to pay a penalty of Rs. 50,000/-. The Inspector of Lifts shall be competent to levy such penalty.” .

10. Substitution of section 7.—For section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“**7. Right to enter any building for inspection or installation of lift, escalator or travelator.—**(1) The Inspector of Lifts may, at any time after giving reasonable notice to the occupant, enter upon any building in which a lift, escalator or travelator is installed or is being installed or in connection with which an application for a license has been received, for the purpose of inspecting installation of lift, escalator or travelator; or the lift, escalator or travelator installation or the site thereof.

(2) The Assistant Inspector of Lifts may also conduct the physical inspection of such lifts, escalators or travelators, which are referred to him by the Inspector of Lifts:
Provided that the Inspector of Lifts shall inspect atleast ten percent of the lifts, escalators or travelators which have been inspected by the Assistant Inspector of Lifts:

Provided further that the Assistant Inspector of Lifts shall have right to enter any building as per sub-section (1) to inspect the lifts, escalators or travelators, as referred to him under this sub-section.

(3) If on such inspection the Officer is of the opinion that any lift, escalator or travelator in any building is in an unsafe condition, he may issue an order to the owner of the building requiring such repairs or alterations to be made to such lift, escalator or travelator as he may deem necessary within the time specified therein and may also, if necessary, order the use of such lift, escalator or travelator to be discontinued until such repairs or alterations are made or such unsafe condition is removed.”.

11. Amendment of Section 8.—In Section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, signs and figures " sub-section (2) of Section 7", the words, signs and figures "section 3, section 4, Section 5, Section 6 and sub-section (3) of Section 7" shall be substituted.

12. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the words " also to the District Magistrate", the sign and words, "to the District Magistrate and also the Superintendent of Police" shall be substituted.

13. Amendment of Section 11.— In Section 11 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Every lift, escalator or travelator shall be inspected at least once in a year by an officer authorised in this behalf by the State Government."; and

(b) in sub-section (2), for the words, figures and signs " sub-section (3) of section 4, sub-section (2) of section 7", the words, figures "sub-section (3) of section 7" shall be substituted.

14. Amendment of Section 13.— In Section 13 of the principal Act,—

(a) for the words "five thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted;

(b) for the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted; and

(c) for the words "forty five thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.

15. Substitution of section 14.—For Section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"14. Delegation of the powers.— The State Government may delegate all or any of the powers conferred on it by this Act to such officer as it may think fit but not below the rank of Inspector of Lifts.".

16. Insertion of sections 14-A, 14-B, 14-C and 14-D.—After section 14 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"14-A. Concurrent liability.— The lift, escalator or travelator erection or maintenance company, as the case may be, shall be liable for a penalty under this Act in case an accident occurs in the lift escalator or travelator due to the malfunctioning of any of the safety provisions of the lift, escalator or travelator, if attributable to such company.

14-B. Life span.— A lift, escalator or travelator installed in the premises shall be replaced by the owner after a period of twenty years of the installation and the owner shall surrender the existing license and apply for a fresh license under Section 4 of the Act.

14-C. Insurance.—The owner after the completion of erection of such lift, escalator or travelator, shall ensure third party insurance mandatorily, so as to cover the risk of passengers using such lift, escalator or travelator.

14-D. Code of practice.—The materials and all relevant components of lift, escalator or travelator must comply with the Bureau of Indian Standards or the National Building Code.".

17. Substitution of section 15.—For Section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"15. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) specifications for lift, escalator or travelator;

(b) the manner in which erection plans of lift, escalator or travelator shall be submitted;

(c) the manner in which the lift, escalator or travelator may be tested;

(d) the form of application for the erection of a lift, escalator or travelator or a license for working the same;

(e) the terms and conditions subject to which and the form in which the license may be granted for the working of a lift, escalator or travelator under Section 6;

(f) the manner in which and the terms subject to which the lift, escalator or travelator shall work under section 6;

(g) the manner in which notice of accidents shall be given and the form of such notice;

(h) the form of notice to be given under section 7;

(i) to decide the manner in which the life span of the lift, escalator or travelator is regulated ; and

(j) any other matter which is required to be or may be prescribed by the State Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Lifts Act, 2007 was enacted to regulate the installation, operation and maintenance of passenger lifts in public and private establishments in the State for ensuring safety of person using such lifts. With the growth of tourism, urban infrastructure and private sector participation in development projects in the State, the installation of escalators and travelators has

increased considerably. As the existing Act does not provide for regulation of escalators and travelators, it has become necessary to widen the scope of the Act.

The primary objective of the Bill is to prioritise public safety through enhanced administration and strict safety oversight. It proposes revision of the fee structure including enhancement of the annual license fee and provision for penalty, compulsory third party insurance and concurrent liability for service providers.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The————————————, 2026